राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 540/2025

प्रकाश सुमन **–अपीलार्थी**

बनाम

1. सचिव एवं आयुक्त, सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.01.2025
आदेश की दिनांक : 05.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सूचना सहायक के पद पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचन विभाग, लाडपुरा, कोटा में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उप पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी अल्प वेतन भोगी कार्मिक है और उसका स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में 280 कि.मी. दूर किया गया है और इस प्रकार विभाग द्वारा जारी किया गया आदेश विधि एवं नियमों के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। चूंकि अपीलार्थी वर्तमान में सूचना सहायक के पद पर कार्यरत है, जो कि अल्प वेतन भोगी कार्मिक की श्रेणी में नहीं आता है। इस प्रकार अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह तर्क उचित नहीं है कि अपीलार्थी अल्प वेतन भोगी कार्मिक है। आलोच्य स्थानांतरण आदेश नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की नियम विरूद्धता प्रकट नहीं होती है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें कहां पर ली जानी है। अधिकरण द्वारा ऐसे मामले में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील में कोई बल प्रकट नहीं होता है। अतः अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष